रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 383] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 13, 1988/आषाढ़ 22, 1910
No. 383] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 13, 1988/ASADHA 22, 1910

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

नई दिल्ली, 27 जून, 1988

अधिसूचना

सा.का.नि. 785 (अ):—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दूरदर्शन में समूह "ग" पदों (श्रोता अनुसंधान कर्मचारिवृंद) पद/पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात्:—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ:—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरदर्शन (समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1988 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान: उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान वे होंगे जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं आदि: उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबन्धित अन्य बातें वे होंगी जो पूर्वोक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 13 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता: वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा:

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबन्ध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षणों, आयु सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबन्ध करना अपेक्षित है।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
1. अन्वेषक	14*(1988) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराज-पत्रित अलिपिकीय	1400-40-1800-द.रो.-50-2000 रु.	लागू नहीं होता	25 वर्ष से नीचे : (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 30 वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान, निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नति व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9
आवश्यक : 1. अर्थशास्त्र, सांख्यिकी, समाजशास्त्र या किसी भी अन्य समाज विज्ञान में डिग्री। (2) किसी सरकारी या मान्यताप्राप्त संस्थान या संगठन में क्षेत्र अन्वेषण या सांख्यिकी जांच या अनुसंधान का कुछ अनुभव। वांछनीय सांख्यिकी का ज्ञान	लागू नहीं होता	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा ।
10	11
100 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
विभागीय प्रोन्नति समिति : पुष्टि के संबन्ध में विचार करने के लिए : (1) केन्द्र निदेशक (सामान्य श्रेणी)/केन्द्र का सहायक केन्द्र निदेशक—अध्यक्ष (2) केन्द्र में श्रोता अनुसंधान अधिकारी—सदस्य (3) उप निदेशक (प्रशासन) ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/लेखा अधिकारी —सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
2. सांख्यिकीय कम्प्यूटर	7* कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है	समूह "ग" अननुसचिवीय अराजपत्रित	1200-30-1560 द.रो.-40-2000 रु.	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष : (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 30 वर्ष तक की जा सकती है) । टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप में है) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख प्रत्येक मामले में वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9
आवश्यक : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री या समतुल्य वांछनीय : संगणना करने, कार्ड पंचिंग और छंटाई मशीन पर कार्य करने का एक वर्ष का अनुभव ।	लागू नहीं होता	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा
10	11
साधारण केन्द्रीय सेवा सीधी भर्ती द्वारा 100 प्रतिशत	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
विभागीय प्रोन्नति समिति : पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए— (1) केन्द्र निदेशक सामान्य श्रेणी/केन्द्र का सहायक केन्द्र निदेशक—अध्यक्ष (2) केन्द्र में श्रेणी अनुसंधान अधिकारी—सदस्य (3) उप-निदेशक प्रशासन/ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/लेखा अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
3. सारणीकार लिपिक	18* (1988) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	समूह "ग" अनुसचिवीय अराजपत्रित	950-20-1150-द.रो.-25-1500 रुपये	लागू नहीं होता	18 से 25 वर्ष : (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए शिथिल करके 30 वर्ष तक की जा सकती है) । टिप्पण : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख, भारत में अभ्यर्थियों से (उनसे भिन्न जो अंडमान और निकोबार द्वीप तथा लक्षद्वीप में हैं) आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी । रोजगार कार्यालय के माध्यम से की गई भर्ती की दशा में आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिए कहा गया है ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9
आवश्यक : (1) मैट्रिकुलेशन (2) 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अंग्रेजी में टाइपिंग का ज्ञान	लागू नहीं होता	2 वर्ष

भर्ती की पद्धति / भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा
10	11
90 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा और 10 प्रतिशत शैक्षिक रूप से अर्हता प्राप्त समूह 'घ' कर्मचारिवृन्द में से सीधी भर्ती द्वारा । टिप्पण : तथापि भर्ती करते समय कृपया इस बात का ध्यान रखा जाए कि चयन किए जाने वाले अभ्यर्थी गणित में अच्छे हों ।	लागू नहीं होता

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
12	13
विभागीय प्रोन्नति समिति : पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए : (1) केन्द्र निदेशक (सामान्य श्रेणी)/केन्द्र का सहायक केन्द्र निदेशक—अध्यक्ष (2) केन्द्र में भारत अनुसंधान अधिकारी—सदस्य (3) उप-निदेशक प्रशासन/ज्येष्ठ प्रशासनिक अधिकारी/लेखा अधिकारी—सदस्य	लागू नहीं होता

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
4. सार्टर	18* (1988) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह 'ग'	775-12-955 द.रो.-14-1024 रुपये	चयन	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
7	8	9
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	दो वर्ष

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
10	11
100 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	प्रोन्नति : संबंधित स्टेशन/केन्द्र में चपरासियों में से जिन्होंने उस श्रेणी में कम से कम तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

भर्ती की पद्धति / भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा
12	13
केन्द्र निदेशक—अध्यक्ष श्रोता अनुसंधान अधिकारी—सदस्य एक बाहरी व्यक्ति (केन्द्रीय सरकार के अन्य विभाग का राजपत्रित अधिकारी) जिसे केन्द्र निदेशक दूरदर्शन केन्द्र द्वारा स्थानीय तौर पर सहबद्ध किया जाएगा —सदस्य।	लागू नहीं होता

[संख्या 501/6/88-टी. वी. (ए)]
विन्दर कुमार अरोड़ा, अवर सचिव

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

New Delhi, the 27th June, 1988

NOTIFICATION

G.S.R. 785 (E):—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'C' posts (Audience Reseatch Staff) in Doordarshan, namely :—

1. Short title and commencement :—These rules may be called the Doordarshan (group 'C' posts) Recruitment Rules, 1988

(ii) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of posts, classification and scale of pay:—

The number of posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall be as aspecified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.:—

The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating to the said posts shall be as specified in columns 5 to 13 of the aforesaid Schedule.

4. Disqualification : No. person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

Shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax : Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. Saving : Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided to the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-service man and other special categories of persons in accordance with the instructions or orders, issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Sl. No.	Name of posts	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether Selection post or Non-selection post	Age limit for direct recruits	Educational and other qualification required
1		2	3	4	5	6	7
	Investigator	14* (1988) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service Group 'C' Non-Ministerial Non-Gazetted.	Rs. 1400-40-1800-EB-50-2000.	Not applicable	Below 25 years. (Relaxable for Government servants upto 35 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications for candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note. 2. In the case of recruitment made through the employment exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange, is asked to submit the names.	Essential : (i) A degree in Economics, Statistics, Sociology or any other social sciences. (ii) Some experience in field investigation or statistical enquiries or research in Government or recognised institute or organisation. Desirable : Knowledge of Statistics.

Whether age, Educational qualifications prescribed for the direct recruits will apply in the case of promotees	Period of probation if, any	Method of recruitment whether by direct recruit or by promotion or transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/transfer, grade from which promotion to be made	If, a Departmental Promotion Committee exists what is its composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment.	Not applicable	Departmental Promotion Committee for confirmation : (i) Station Director (Ordinary Grade)/ Assistant Station Director of the Kendra —Chairman (ii) Audience Research Officer in the Kendra —Member (iii) Deputy Director of Administration/Senior Administrative Officer/ Accounts Officer —Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
2. Statistical Computer	7* (1988) *Subject to Variation dependent on work-load.	Group 'C' Non-Ministerial, Non-Gazetted.	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2000.	Not applicable	18-25 years. (Relaxable for Government servants upto 30 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government.) Note 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications for candidates in India (other than those in the Andaman and Nicobar Islands and Lakshadweep). Note. 2. In the case of recruitment made through the employment exchange the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Essential : Degree of a recognised University or equivalent. Desirable : One year's experience of work on computting, card punching and sorting machines.

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	100% by direct recruitment.	Not applicable	Departmental Promotion Committee for confirmation. (i) Station Director (Ordinary Grade)/ Assistant Station Director of the Kendra —Chairman (ii) Audience Research Officer in the Kendra —Member (iii) Deputy Director of Administration/Senior Administrative Officer/ Accounts Officer —Member	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
Tabulator Clerk	18* (1988) *Subject to variation dependent on work load	Group 'C' (Non-Ministerial Non-Gazetted	Rs. 950-20-1150-EB-25-1500	Not applicable	18-25 years. (Relaxable for Government servants upto 30 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note 1. The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications for candidates in India (other than those in Andaman and Nicobar . Islands and Lakshadweep). Note. 2. In the case of recruitment made through the employment exchange, the crucial date for determining the age limit shall be last date upto which the employment exchange is asked to submit the names.	Essential : (1) Matriculation. (2) Knowledge of typing at speed of 30 w.p.m. in English

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	90% by direct recruitment and 10% by direct recruitment from educationally qualified Group 'D' staff	Not applicable	Departmental Promotion Committee for confirmation (i) Station Director (Ordinary Grade)/ Assistant Station Director of the Kendra —Chairman (ii) Audience Research Officer in the Kendra —Member (iii) Deputy Director of Administration/Senior Administrative Officer/ Accounts Officer —Member Note: While making recruitment, however it may please be kept in mind that the candidates to be selected are good in Mathematics	Not applicable

1	2	3	4	5	6	7
Sorter	18* (1988) *Subject to variation depending on work-load	General Central Service Group 'D'	Rs. 775-12-955-EB-14-1024	Selection	Not applicable	Not applicable

8	9	10	11	12	13
Not applicable	2 years	100% by promotion	Promotion : From amongst Peons with atleast 3 Years regular service in the grade in the Station Kendra concerned	Station Director —Chairman Audience Research Officer —Member One outsider (a gazetted officer from some other department of Central Government) to be associated locally by Station Director/T. V. Centre—Member	Not applicable

[No. 501/4/88—TA(A)]

V. K. KAPOOR, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1988